



जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) समीक्षा बैठक
दिनांक 12, 13 सितम्बर 2012 तक राज्य मुख्यालय भोपाल
--:-- कार्यवाही विवरण --:--

दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2012 को जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/ गाइड) की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्न संगठनाधिकारी उपस्थित हुये -

1	श्री जी0आर0शर्मा	राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल
2.	श्री आर0एस0तिवारी	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राज्य मुख्यालय भोपाल
3	श्रीमती अनीता अंकुलनेकर	संयुक्त राज्य सचिव एवं राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)
4	श्रीमती सी0के0 उपाध्याय	राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल
5	श्री डी0पी0मिश्रा	राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) राज्य मुख्यालय भोपाल
6	श्री बी0एल0शर्मा	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) राज्य मुख्यालय भोपाल

बैठक का शुभारंभ ईश-प्रार्थना से प्रातः 9 बजे किया गया । एजेण्डा अनुसार जानकारी भेजने के संबंध में चर्चा की गई । चर्चा दौरान सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) द्वारा निम्न जानकारी बैठक में दी गई ।

1. युवा कार्यक्रम :-

- 1 जिला से राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम पर चर्चा माह अप्रैल से अगस्त 2012 तक का प्रतिवेदन : जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कुल कार्यक्रमों में से कितने कार्यक्रम का आयोजन जिले द्वारा किया गया का प्रजेन्टेशन दिखाया गया एवं निर्देश दिये गये ।
निर्णय- वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित तिथि में ही कार्यक्रम सम्पन्न कराने तथा प्रतिवेदन ईमेल करते हुये दुरभाष से इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से सूचित करें । प्रत्येक स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता सुनिश्चित कर भेजेगें ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

2 स्टेट चीफ कमिश्नर शीलड प्रतियोगिता -

- जिला ग्वालियर धार, गुना, छिंदवाडा इन्दौर से प्राप्त हुआ है ।
निर्णय- जिन जिला से लॉगबुक अप्राप्त है उन्हें दिनांक 17 सितम्बर 2012 तक पत्र वाहक के हस्तों भेजने हेतु निर्देश दिये गये ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

- 3 हेडक्वाटर स्वतंत्र दल का गठन - डी0ओ0सी0 ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सिवनी, छिंदवाडा द्वारा हेडक्वाटर स्वतंत्र दल का गठन किया गया है । शेष जिला से जानकारी अप्राप्त है ।
निर्णय- शेष डी0ओ0सी0 ने निर्णय लिये गये कि 30 सितम्बर तक गठन कर संचालन संबंधी जानकारी से अवगत करावे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

4. जिला स्तर पर स्वतंत्र दल/वेंचर क्लब का गठन -

- जिला भोपाल, एवं इन्दौर में वेंचर क्लब संचालित है । शेष जिलों में गठन व संचालन हेतु निर्देश दिये ।

निर्णय— दलों की जानकारी 20 सितम्बर 2012 तक भेजेगें ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

5 चयनित 20 का एडवांसमेन्ट :-

चयनित 20 दलों के एडवांसमेन्ट बारे में चर्चा की गई जिसमें समस्त डी0ओ0सी0 को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित प्रपत्र में सही जानकारी भेजे ।

निर्णय— दिनांक 30 सितम्बर 2012 तक अनिवार्य रूप से भेजेगें एवं इन दलों का सतत मानिट्रिंग करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

10 युवा कार्यक्रम राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अनुसूचित जाति के प्रस्ताव :-

राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आयोजित होने वाले शिविरों के प्रस्ताव तिथि, स्थान एवं सूची सहित भेजे ।

निर्णय— दिनांक 25 सितम्बर 2012 तक अनिवार्य रूप से भेजेगें ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

11 दल गठन :- सत्र 2012-2013 में कुल स्कूलों की संख्या की जानकारी सही आकड़ों साथ प्रस्तुत करें ताकि राज्य मुख्यालय व जिले के आकड़ों का मिलान किया जा सके । शास0/अशास0 स्कूलों के आकड़े अलग-अलग प्रस्तुत करें । सही जानकारी भेजने के निर्देश दिये गये ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

12 कार्य योजना/कार्य प्रतिवेदन :- पिछले समीक्षा बैठक में दिये प्रारूप में ही मासिक कार्य योजना एवं कार्य प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से भेजे । अपने अधिनस्थ डी0ओ0सी0 का कार्य योजना एवं कार्य प्रतिवेदन अवलोकन कर ही स्वीकृति हेतु भेजी जावे ।

निर्णय— निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से भेजेगें ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

13 प्रस्तावित जिला स्तरीय कार्यक्रम की जानकारी :-

वार्षिक कार्यक्रमानुसार माह सितम्बर से दिसम्बर 2012 तक का कार्य योजना तैयार कार्यक्रम सम्पन्न करायेगें ।

निर्णय— सभी ने निर्णय लिया कि कार्य योजना दिनांक 30 सितम्बर 2012 तक भेजेगें ।

निर्देश :-

- 1 जिला स्तरीय कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित तिथियों में सम्पन्न करावें एवं सम्पन्न कार्यक्रमों का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से समय पर भेजे एवं दुरभाष से अवगत कराते हुये ईमेल से भी भेजे ।
- 2 राज्य स्तर के कार्यक्रमों में जिले की प्रतिभागिता अनिवार्य कराने के निर्देश दिये गये ।
3. चयनित 20 दल की सूची में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तित सूची से राज्य मुख्यालय को 30 सितम्बर में देवे एवं एडवांसमेन्ट की दृष्टि से मानिट्रिंग प्रतिमाह करें एवं दिये गये प्रपत्र में प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से भेजे ।
4. प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शीलड प्रतियोगिता हेतु दलों का पंजीयन होना अनिवार्य है बिना पंजीयन के युवा एवं वयस्क का एडवांसमेन्ट नहीं हो पायेगा । अतः तृतीय सोपान शिविर के समय दलों का पंजीयन करायी जावे एवं निर्धारित शुल्क व फार्म की समस्त पूर्तियों सहित 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से भेजे ।
- 5 आदर्श दल का चयन, चयनित 20 दलों से ही किया जावे एवं सभी स्तर के कार्यक्रमों प्रतिभागिता सुनिश्चित की जावे ।
- 6 राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों उच्च स्तर के प्रतिभागियों को ही सम्मिलित करायी जावे ।
- 7 राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आयोजित होने वाले शिविरों के प्रस्ताव तिथि, स्थान एवं सूची सहित दिनांक 25 सितम्बर 2012 तक अनिवार्य रूप से भेजेगें ।
- 8 युवा प्रगतीशील प्रशिक्षण (एडवांसमेन्ट) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें

- 9 जिला विवरणिका सत्र 2012-2013 की माह 30 दिसम्बर 2012 तक सम्पूर्ण जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से भेजे ।
- 10 जिला स्तर बैज समिति का गठन एवं प्रत्येक विभाग का स्वतंत्र बैज परीक्षकों की नियुक्ति कर समयसीमा अंकित कर दिनांक 30 सितम्बर 2012 तक अनिवार्य से भेजे । बैज समिति एवं परीक्षकों नियुक्ति के बिना युवा एडवांसमेन्ट मान्य नहीं होंगे ।
- 11 हेडक्वाटर स्वतंत्र, जिला स्वतंत्र दल, एवं वेंचर क्लब गठन की जानकारी दिनांक 30 सितम्बर 2012 तक भेजे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी / डी0ओ0सी

2. वयस्क प्रशिक्षण- स्काउट विभाग-

- 1 - बैठक में सर्व प्रथम माह अप्रैल से अगस्त 2012 के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविरों की प्रतिभागिता प्रस्तुत की गई, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में मात्र ग्वालियर, भोपाल, गुना, जिले की प्रतिभागिता रही शेष जिलों की बेसिक कब मास्टर कोर्स में 3 गुना, भोपाल, बेसिक रोवर लीडर कोर्स में 2 गुना, 1 ग्वालियर, 1 भोपाल, एडवांस कब मास्टर में 1 ग्वालियर से भाग लिया ।
- 2 - राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिये जिलों जो निर्धारित कोटा आवंटित किया जाता है उसके आवेदन पत्र समय सीमा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं । प्रतिभागी बिना आवेदनके सीधे पहुंच जाता है ।
- 3 - सामान्य सूचना शिविर के संबंध में चर्चा की गई जिन डीओसी ने प्रतिवेदन नहीं भेजा है उसे 25/9/12 तक संभाग के माध्यम से राज्य मुख्यालय भेजने हेतु निर्देशित किया गया । ग्वालियर, सिवनी, बालाघाट, धार, बड़वानी, सीधी, बैतूल, उमरिया, अशोक नगर, से प्राप्त, प्रतिवेदन के प्रमाण-पत्र तैयार कर भेजे गये ।
- 4 - माह अगस्त, सितम्बर 12 में आयोजित होने वाले बेसिक प्रशिक्षण शिविरों में मात्र बड़वानी, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, ग्वालियर, सिवनी, सीधी, शाजापुर में शिविर आयोजित हुये हैं इन्दौर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, मुरैना में शिविर सितम्बर अक्टूबर 12 में आयोजित होने जा रहे हैं । मान्यता जारी कर दी गई है ।
- 5 - माह नवम्बर में आयोजित होने वाले एडवांस स्काउट/कब मास्टर प्रशिक्षण शिविर 4 संभाग मिलाकर किये जाना है प्रस्तावित कार्यक्रम जिलेवार आवंटित कोटे की पूर्ति हेतु जिलों से योग्य स्काउटर के आवेदन पत्र भेजे ।
- 6 - राज्य स्तरीय माह नवम्बर, दिसम्बर 2012 में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता एवं कोटे के अनुसार प्रतिभागिता सुनिश्चित करने संबंधित चर्चा की गई उनके आवेदन समय सीमा में संभाग/राज्य मुख्यालय भेजने हेतु निर्देश दिये गये ।
- 7 - संभागों के समस्त प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षण केन्द्र पर ही आयोजित किये जावे, इसका कढाई से पालन किया जावे ।
- 8 - वयस्क प्रशिक्षण शिविर के संबंध में विदिशा, ग्वालियर, मुरैना जिला में बेसिक स्काउट मास्टर शिविर सम्पन्न हुये शेष सभी जिलों द्वारा माह सितम्बर एवं अक्टूबर 12 में करने के प्रस्ताव 20 सितम्बर तक भेजने हेतु स्वीकृति दी ।

निर्देश :-

1. संभाग स्तर बेसिक कब/स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर के आयोजन माह सितम्बर 12 में सुनिश्चित करें ।
2. संभाग स्तर पर एडवांस कब/स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सूची कार्यालय को भेजे ।
3. सामान्य सूचना शिविर जो शेष रहे उनका प्रतिवेदन 25/9/12 तक भेजे ।
4. बेसिक कब/स्काउट मास्टर शिविर जो सम्पन्न हो चुके हैं उनका प्रतिवेदन 25 सितम्बर 2012 तक राज्य मुख्यालय भेजे ।
5. शिविर प्रारम्भ की दिनांक को शिविर प्रारंभ की सूचना फैक्स/ई-मैन द्वारा भेजे ।
6. शिविर के संचालन मण्डल एवं सहायक स्पष्ट होना चाहिये ।
7. एडवांस प्रशिक्षण शिविर हेतु वारन्ट व चार्टन प्राप्त स्काउटर को सम्मिलित करावें ।

- 8 बेसिक प्रशिक्षण दल संचालित स्काउटर के वारन्ट व चार्टर उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
- 9 राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में आवंटित कोटे की पूर्ति करें।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी/डी0ओ0सी

3. वयस्क प्रशिक्षण गाइड विभाग :-

गत बैठक का पालन प्रतिवेदन -

- 1- माह जुलाई 12 तक प्राप्त एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त गाइडर्स के वारंट फार्म के आधार पर 44 गाइड केप्टीन एवं 19 फ्लाक लीडर के प्रमाण-पत्र जारी किये गये।
- 2- सिवनी जिला व सागर संभाग का लंबित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रमाण-पत्र जारी किये। कोई प्रतिवेदन शेष नहीं है।

कार्यवाही -

- 1- बैठक में सर्वप्रथम माह अप्रैल से अगस्त 12 तक की राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविरों की प्रतिभागिता प्रस्तुत की गयी, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में मात्र इन्दौर, भोपाल, रायसेन, व डिंडोरी जिले की प्रतिभागिता रही शेष जिले व संभाग की स्थिति निरंक रही। एडवांस फ्लाक लीडर, रेंजर लीडर में प्रतिभागिता निरंक रही।
- 2- राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में गाइड विभाग की प्रतिभागिता नगण्य है। बेसिक रेंजर लीडर कोर्स में चंबल, होशंगाबाद, इन्दौर, रीवा, उज्जैन संभाग की प्रतिभागिता निरंक रही। शेष संभाग से भी मात्र एक-दो जिलों की प्रतिभागिता रही है, स्थिति चिंताजनक है।
- 3- माह अगस्त में आयोजित होने वाले बेसिक प्रशिक्षण शिविरों में मात्र बडवानी व छिन्दवाडा में शिविर आयोजित हुए हैं। इन्दौर, होशंगाबाद, रीवा, उज्जैन संभाग में शिविर स्थगित हुए हैं, जो माह सितंबर 12 में आयोजित किये जा रहे हैं।
- 4- माह सितंबर 12 में आयोजित होने वाले बेसिक गाइड केप्टीन/फ्लाक लीडर प्रशिक्षण शिविरों एवं एडवांस गाइड केप्टीन/फ्लाक लीडर प्रशिक्षण शिविर के प्रस्तावित कार्यक्रम व जिलेवार आवंटित कोटे की पूर्ति हेतु प्रस्तुतिकरण दिया गया।

निर्देश -

- 1- संभाग स्तर पर बेसिक गाइड केप्टीन/फ्लाक लीडर प्रशिक्षण शिविर के आयोजन माह सितंबर 12 में सुनिश्चित करें।
- 2- अनु.जाति व सामान्य की पर्याप्त संख्या व सूची होने पर जिला स्तर पर बेसिक गाइड केप्टीन प्रशिक्षण शिविर के प्रस्ताव 1 माह पूर्व भेजें।
- 3- एडवांस प्रशिक्षण शिविर हेतु वारंट व चार्टर प्राप्त गाइडर्स को सम्मिलित करावें।
- 4- बेसिक प्रशिक्षित, दल संचालित गाइडर्स के माह अक्टूबर 12 तक वारंट व चार्टर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- राज्य स्तरीय प्रत्येक शिविरों में आवंटित कोटे की पूर्ति करें।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी/डी0ओ0सी

4. परियोजना कक्ष :-

पालन प्रतिवेदन (पिछली समीक्षा बैठक दिनांक 17 से 19 मई 2012)

(1) अनु.जाति विकास :-

- वर्ष 2011-12 अनु.जाति विकास के सहयोग से शिविरों के आयोजन की जबलपुर एवं सागर संभाग की शेष राशि अप्राप्त है।(पृथक से पत्र भी जारी किया जा रहा है)
- वर्ष 2012-13 में कब-बुलबुल एवं स्काउट-गाइड के शिविरों हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर संभागवार प्रावधानित संख्या अनुसार शिविर आयोजन की स्वीकृति एस.ओ.सी. (स्का.गा.) द्वारा जारी की गई।
- आगामी वर्ष 2012-13 हेतु प्रावधान अनुसार राशि संभागों को जारी कर दी गई है।
- राज्य स्तर पर तृतीय सोपान एवं तृतीय चरण/स्वर्ण पंख जॉच शिविर हेतु संभागवार प्रावधान अनुसार परिपत्र एस.ओ.सी.(स्का.) द्वारा जारी किया गया है।

(2) राज्य शिक्षा केन्द्र :-

- वर्ष 2011-12 में संभागो को भेजी गई राशि में से व्यय पश्चात भोपाल, सागर, शहडोल संभाग से शेष राशि अप्राप्त है। (पृथक से पत्र भी जारी किया जा रहा है)
- वयस्क प्रशिक्षण शिविरो के आयोजन हेतु प्राप्त प्रस्तावों एवं प्रशिक्षण आयोजन संबंधी स्वीकृति प्रावधान अनुसार एस.टी.सी. (स्का.गा.) द्वारा जारी की गई है।
- राज्य स्तर पर तृतीय सोपान एवं तृतीय चरण/स्वर्ण पंख जॉच शिविर हेतु संभागवार प्रावधान अनुसार परिपत्र एस.ओ.सी.(स्का.) द्वारा जारी किया गया है।

(3) यूनिसेफ

- समस्त प्रतिभागी जिलो द्वारा प्रतिवेदन भेजे गये।
- जिला सीहोर, बुरहानपुर, बालाघाट, मण्डला, छतरपुर, द्वारा प्रेक्षापूर्ति नहीं की गई।
- इन्दौर, शहडोल, संभागो द्वारा शेष राशि अप्राप्त हैं।
- विश्व जल दिवस की राशि जिला मुरैना, ग्वालियर, इन्दौर को भेज दी गई है एवं जिला गुना एवं जबलपुर का भुगतान किया जाना शेष है।
- विश्व हाथ धुलाई दिवस 2010 के जिला बुरहानपुर, छतरपुर, कटनी, रीवा के प्रकरणो का समायोजन लम्बित है।

कार्यवाही सत्र 2012-2013 हेतु

(क). अनुजाति विकास :-

1. वर्ष 2012-13 में कब-बुलबुल एवं स्काउट-गाइड के शिविरो हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर संभागवार प्रावधानित संख्या अनुसार शिविर आयोजन की स्वीकृति एस.ओ.सी. (स्का.) द्वारा जारी की गई।
2. आगामी वर्ष 2012-13 हेतु प्रावधान अनुसार राशि संभागो आवंटित कर दी गई है।
3. राज्य स्तर पर तृतीय सोपान एवं तृतीय चरण/स्वर्ण पंख जॉच शिविर हेतु संभागवार प्रावधान अनुसार परिपत्र एस.ओ.सी. स्का. द्वारा जारी किया गया है।

(ख). राज्य शिक्षा केन्द्र :-

1. राज्य शिक्षा केन्द्र के सहयोग से संभाग स्तर पर द्वितीय चरण/रजत पंख एवं द्वितीय सोपान स्का.गा. जॉच शिविरो के आयोजन हेतु संभाग के प्रावधान अनुसार शिविरो आयोजन हेतु स्वीकृति दी गई है।
2. वयस्क प्रशिक्षण शिविरो के आयोजन हेतु प्राप्त प्रस्तावों एवं प्रशिक्षण आयोजन संबंधी स्वीकृति प्रावधान अनुसार एस.टी.सी. (स्का.गा.) द्वारा जारी की गई है।
3. रा.शि.केन्द्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 के प्रावधान अनुसार राशि संभागो को राशि शीघ्र ही आवंटित की जा रही है।

(ग). यूनिसेफ

1. समस्त डीओसी/ए.एस.ओ.सी.-स्काउट/गाइड को यूनिसेफ विश्व हाथ धुलाई 2011 एवं 2010 के अग्रिमों के समायोजन हेतु निर्देशित किया गया।
2. विश्व जल दिवस 2012 के जिला गुना/जबलपुर के देयकों का समायोजन यथाशीघ्र करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।
3. आगामी सत्र में जिला गुना/शिवपुरी में यूनिसेफ समर्थित कार्यक्रमों के संचालन हेतु भेजे गये परिपत्रों पर कार्यवाही एवं 80-80 स्कूलों के चयन कर भेजने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
4. सभी आर्थिक प्रकरणों का निराकरण हेतु समस्त ए.एस.ओ.सी.-स्काउट/गाइड राज्य मुख्यालय में उपस्थित होकर निराकरण करायें।

निर्णय/निर्देश :-

1. प्रोजेक्ट अंतर्गत आयोजित शिविरो के प्रतिवेदन एवं पूर्ण हिसाब दिनांक 30 सितम्बर 2012 तक राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करावें।
2. प्रोजेक्ट अंतर्गत युवा एवं वयस्क शिविरो में संभाग के प्रावधान अनुसार जिले के कोटे अनुसार संख्या न होने पर विशेष परिस्थिति में संभाग के अन्य जिलो से संख्या की पूर्ति कर प्रतिभागियों को सम्मिलित कराया जा सकता है।
3. आयोजित शिविरो में प्रतिभागिता प्रावधान एवं पात्रता अनुसार ही सम्मिलित कराई जायें

4. प्रोजेक्ट अंतर्गत समयोजन हेतु लंबित प्रकरणों पर यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्व सूचना देकर राज्य मुख्यालय में उपस्थित होकर की जावे ।
5. बैठक में वितरित ग्लोजर्म किट का उपयोग शिविर में प्रदर्शित कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।
6. प्रोजेक्ट अंतर्गत संभाग स्तर पर 6 कब-बुलबुल पर एक यूनिट लीडर एवं 8 स्काउट-गाइड पर 1 यूनिट लीडर को सम्मिलित कराया जा सकता है।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी

3. पंजीयन / भवन :-

पंजीयन/भवन से ए.एस.ओ.सी/डी.ओ.सी से लम्बित उसकी जानकारी प्राप्त की जाना है जो इस प्रकार है-

- 01- वर्ष 2011-2012 की पंजीयन राशि की शिक्षा विभाग सीहोर रायसेन विदिशा राजगढ धार खण्डवा बुरहानपुर उज्जैन देवास मंदसौर रतलाम नीमच शिवपुरी दतिया भिण्ड सागर पन्ना दमोह छतरपुर टीकमगढ रीवा सिंगरौली शहडोल उमरिया जबलपुर कटनीबालाघाट सिवनी नरसिंहपुर आदिवासी विभाग होशंगाबाद बैतूल अलीराजपुर खरगौन बडवानी खण्डवा बुरहानपुर श्योपुर सीधी शहडोल अनूपपुर उमरिया डिण्डौरी बालाघाट सिवनी मण्डला की पंजीयन राशि प्राप्त नहीं हुई है । पंजीयन राशि भेजने हेतु 14 पत्र भेजे गया किन्तु राशि लम्बित है ।
- 02- संभागीय कार्यालय को भेजा गया वारण्ट की पावती भेजने हेतु इस कार्यालय द्वारा 7701/12/1/2012/590/24/4/2012 जिसमें से उज्जैन इन्दौर भोपाल सागर होशंगाबाद मुरैना,ग्वालियर,रीवा,शहडोल जबलपुर की जानकारी प्राप्त हुई है।
- 03- विगत तीन वर्षों में संभागीय कार्यालय द्वारा कितने चार्टर जारी किए गये उन विद्यालय की सूची भेजने हेतु 646/27/4/2012/595/25/4/2012 जिसमें से भोपाल रीवा उज्जैन सागर की जानकारी प्राप्त हुई । ग्वालियर जबलपुर मुरैना शहडोल होशंगाबाद इन्दौर की जानकारी प्राप्त किया जाना शेष है ।
- 04- संभाग/जिला/ब्लाक स्तर पर जो भवन है उनके दस्तावेज स्वामित्व हेतु दानपत्र पट्टा कब्जा खसरा पंचनामा ऋण पुस्तिका भवन भूमि विकास सूची नामान्तरण आदि भेजने हेतु पत्र क्रमांक 7575 / 9 / 1 / 20 12 / 22 1- 22 2 / 11/4/12 / 570-570/24/4/2012/607-608/30/4/2012/793/3/5/2012/839-840 / 07/05/2012 की जानकारी प्राप्त की जाना है । भवन की जानकारी भेजने हेतु 07 पत्र भेजा गए किन्तु जानकारी अभी तक अप्राप्त है ।
- 05- भवन आवटित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है उसकी जानकारी प्राप्त की जाना है
- 06- जिला संघ भवन/भूमि आवटन हेतु कार्यवाही की उसकी जानकारी प्राप्त की जाना है।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी/डी0ओ0सी

4. लेखा कक्ष :-

- 1) शिविर आचार संहिता का पूर्ण पालन करना एवं वस्तुस्थिति शिविर प्रतिवेदन अंकित करना ।
- 2) क्रय समिति का गठन कर भण्डार क्रय नियमों के अनुसार न्यूनतम दर पर गुणवत्ता वाली सामग्री पंजीकृत दुकानो से क्रय करना । पंजीकृत दुकान उपलब्ध न होने पर क्रय समिति की तदविषयक स्पष्ट टीप अंकित कराई जाना ।
- 3) क्रय सामग्री की भण्डार प्रविष्टी करते हुए प्रतिदिन निर्गम सामग्री का विवरण दर्शाते हुए विवरण पत्रक तैयार करना तथा शिविर उपरान्त शेष खर्च सामग्री का निराकरण करना एवं अन्य उपयोगी सामग्री जिला संघ को वापीस कर उसकी पावती शिविर लेखा के साथ प्रस्तुत करना

- 4) आय-व्यय लेखा निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना । प्रत्येक देयक पर अनुक्रमांकन करना एवं भण्डार प्रविष्टि प्रमाणिकरण किया जाना चाहिए
- 5) यात्रा भत्ता देयक तैयार करते वक्त यात्रा भत्ते का नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये । की गई यात्रा के संबंध में उचित विवरण दर्शाया जाये तथा अन्त में निम्न प्रमाण-पत्र यात्रा देयक में अंकित किये जाये ।
 - अ) यह यात्रा देयक प्रथम अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।
 - ब) इस यात्रा हेतु कोई अग्रिम लिया हो तो उस राशि का विवरण एवं अग्रिम लेने का दिनांक लिखे ।
 - स) यात्रा के दौरान संस्था के द्वारा यदि भोजन आवास की व्यवस्था की गई है तो उसका विवरण दे ।
 - द) यात्रा जनहित में संपादित की जा रही है तथा आदेश क्रमांक एवं दिनांक अंकित की जावे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी / डी0ओ0सी

5. भण्डार (साजसज्जा) विभाग:-

- 1 स्काउट-गाइड सामग्री विक्रय लक्ष्य के संबंध में चर्चा की गई ।
निर्देश- प्रत्येक जिला संगठक को अपने जिले में एक लाख रुपये की सामग्री विक्रय का लक्ष्य दिया गया जिसकी पूर्ति जिन जिलों के द्वारा नहीं किया गया है वह आवश्यक रूप से लक्ष्य की पूर्ति करे ।
2. स्काउट शाप की बकाया राशि प्रेषण संबंधी चर्चा :-
निर्देश- समस्त जिला संगठक को दिनांक 30/9/2012 तक लम्बित राशि प्रेषण करे ।
3. विक्रय लक्ष्य की पूर्ति के लिये स्कूलों के लिये क्रय संबंधी आदेश प्रसारित करवाना -
निर्देश- समस्त जिला संगठक को निर्देश दिये गये कि अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास से समस्त शास0/अशास0 स्कूलों को स्काउट सामग्री क्रय के संबंध में आदेश जारी करवाये, जिससे कि स्काउट-गाइड सामग्री विक्रय में वृद्धि की जा सके ।
4. जिन डी0ओ0सी0 के द्वारा लक्ष्य पूर्ति की गई है उन्हें प्रशंसा पत्र भेजा जावे ।

7. बालचर रवि पत्रिका :-

- 1 **पत्रिका सदस्यता में वृद्धि :-**
बालचर रवि मासिक पत्रिका की सदस्यता की स्थिति का प्रजेन्टेशन संभागवार स्थिति से अवगत कराया गया तथा नये सदस्य लक्ष्य बनाकर पूर्ति करने संबंधी चर्चा की गई ।
निर्णय- सभी संगठन अधिकारियों ने निर्णय लिया कि 10 वार्षिक एवं 1 आजीवन सदस्य लक्ष्य बनाकर पूर्ति करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया गया ।
- 2 **बालचर रवि पत्रिका रसीद कट्टा :-**
पत्रिका के पुराने रसीद कट्टे जो उपयोग में लाये जा चुके हैं उन्हें सूची व राशि सहित राज्य मुख्यालय में जमा करने एवं नवीन रसीद कट्टे संबंधी चर्चा की गई ।
निर्णय- पुराने रसीद कट्टे सूची एवं राशि सहित दिनांक 30 सितम्बर 2012 तक जमा करेंगे एवं नवीन रसीद कट्टे ही आवेदन प्रस्तुत करें ।
3. **संवाददाता की नियुक्ति :-**
पुराने संवाददाता की अद्यतन जानकारी एवं नवीन संवाददाता की नियुक्ति संबंधी चर्चा की गई ।
निर्णय- जहाँ डी0ओ0सी0 नहीं है वहाँ पर संवाददाता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजना स्वीकार किया गया । अतः शीघ्र ही संवाददाता के नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजे ।
4. **पत्रिका में प्रकाशनार्थ हेतु विज्ञापन :-**
पत्रिका में प्रकाशनार्थ हेतु विज्ञापन प्रत्येक दो माह में कम से कम एक विज्ञापन अनिवार्य रूप से प्राप्त होना था लेकिन खेद का विषय है कि कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा है ।
निर्णय- जो विज्ञापन लायेगा उसे विज्ञापन राशि में से 20 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दिया जावेगा । आगामी माह से नियमित रूप से विज्ञापन भेजने का निर्णय लिया गया ।

5. **प्रत्येक स्कूलों में पत्रिका की सदस्यता :-**
जिले के प्रत्येक स्कूलों में बालचर रवि मासिक पत्रिका की सदस्यता हेतु संभागीय कमिश्नर राजस्व, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास, कार्यालय से पत्र जारी करवाना था सिर्फ भोपाल संभाग से प्रसारित हुआ है । शेष संभागों में कार्यवाही नहीं की गई ।
निर्णय— 30 अक्टूबर 2012 तक आदेश प्रसारित करवा दिया जावेगा ।
6. **पत्रिका में प्रकाशनार्थ समाचार एवं फोटोग्राफ्स भेजना :-**
पत्रिका में प्रकाशनार्थ प्राप्त होने वाले समाचार अस्पष्ट, हस्तलिखित तथा भ्रमक होते हैं, फोटोग्राफ्स के पीछे केषन नहीं होता, निर्धारित तिथि में प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकाशन हेतु समाचार तैयार करने में कठिनाई होती है ।
निर्णय— निर्धारित माह की 20 तारीख तक समाचार सुलिखित या कम्प्यूटरीकृत समाचार, एवं फोटो की क्वालिटी एवं फोटो के पीछे केषन स्वच्छ लिखित भेजा जावेगा ।
7. **विशेष लेख :-**
विशेष लेख जैसे शिविर अनुभव, संस्मरण, लेख, साक्षात्कार पत्रिका में प्रकाशनार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है जो अतिखेद का विषय है ।
निर्णय— इस विषय का ध्यान रखा जावेगा एवं प्रकाशनार्थ हेतु विशेष लेख अनिवार्य रूप से भेजा जावेगा ।
8. जिन डी0ओ0सी0 के द्वारा लक्ष्य पूर्ति की गई है उन्हें प्रशंसा पत्र भेजा जावे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी / डी0ओ0सी



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/9/2012

पृ0क्र0 / 4910 / रामु / समीक्षाबैठक / 2012

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु -

1. माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. संयुक्त राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. राज्य संगठन / प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
5. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का0 / गा0)
की ओर भेजकर निर्देश है कि बिन्दुवार आवश्यक जानकारी / पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजे ।
6. समस्त जिला संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
की ओर भेजकर निर्देश है कि बिन्दुवार आवश्यक जानकारी / पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजे ।
7. समस्त शाखा प्रभारी राज्य मुख्यालय भोपाल ।



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय भोपाल

